


हुकम या कार्यवाही अथ इतिहासिक जज

पश्चात् पञ्जावली का खसरोल (फिरा) वादग्रस्त
शक्ति के वादी व अतिवादी रिफरेंस कर-
इवातेदार ही वादी व अतिवादी भी खुद
होना है। अतिवादी का कसूर तारीखी उपलब्ध,
नहीं होने पर पञ्जावली का अतिवादी पारि ले
रखी है। केही रिफर में वादी का वाद
अतिवादी का के (जीकाट किना) वाद
विगत रिफर हुकम से तैयार वाद अज्ञात।
वादी को अतिवादी रिफर किना अज्ञात। तदनुसार
दो फर्चा वादी के) पञ्जावली पारि - रिफर।
उत्पाव दिनांक 13.6.2024 को रफ है।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

13.06.2024

कारण के अधिवक्ता उज्ज्वल/पोठासीन
अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं
पञ्जावली वादो विभाजन प्रस्ताव
दिनांक 15.07.2024 को पेश है।

15.7.2024 तक वादी उपलब्ध। अतिवादी (अतिवादी)
किनावा उत्पाव हेतु दिनांक 06.8.2024 को
पेश है।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

06.8.24 तक वादी उपलब्ध। अतिवादी (अतिवादी)
किनावा उत्पाव की तैयारी रिफरेंस प्राप्त
है। रिफर के अनुसार वादग्रस्त अतिवादी


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

का आपसी सहमति के आधार पर कलकत्ता
 से हुआ है कलकत्ता के आधार पर नालानक
 क्रमांक 230 पारित हुआ। यदि वादी का
 वाद हेतुक लाना है हुआ है। वादी का
 वाद अगले चरणों का औचित्य नहीं है।
 सिवाय वादी का वाद ~~इ~~ इसी स्तर पर
 पर इतारिफ की जा जाता है।

पाखिल - उत्तरी जिला अदालत
 - कलकत्ता से।

सहायक कलेक्टर
 (S.O.) बालोतरा